

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/टि0-01-07/2017-

/स्वा0, पटना, दिनांक: / /2019

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों (कॉलम-2) को कॉलम-4 में अंकित रिक्त पदों का प्रशासनिक प्रभार भी स्थानीय स्तर से दिया गया है, उन्हें (कॉलम-2) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत कॉलम-4 के पदों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है:-

| क्र० सं० | चिकित्सा पदाधिकारी का नाम | मूल पदस्थापन | अतिरिक्त प्रभार का पद |
|----------|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | डा० केदार नाथ गुप्ता | अधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी | सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी |
| 2 | डा० पुरुषोत्तम कुमार | सिविल सर्जन, मुंगेर | अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर |
| 3 | डा० अरुण कुमार सिन्हा | सिविल सर्जन, प० चम्पारण, बेतिया | अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया |
| 4 | डा० मो० मुरतजा अली | सिविल सर्जन, कटिहार | अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार |

2. नियमित पदस्थापन के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्रदत्त है।

ह०/-

(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3/टि0-01-07/2017-

822(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 16/7/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, सम्बंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वा० के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1,2,3,4,7,8,9,10,11 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव